न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर

निर्णय दिनांक 08.10.2021

मुकदमा नम्बर 45 /2021

श्रवण कुमार पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
——वादी——

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।
——प्रतिवादी——

उपस्थिति—

1. श्री राजाराम नैण अधिवक्ता वादी की तरफ से।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर. एक्ट

यह वाद श्रवण कुमार ने जरिये अधिवक्ता राजाराम नैण के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अवस्थित है। वादगत कृर्षि भूमि खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर में वादी के पिता की मृत्यू के बाद विरास्तन प्राप्त हुई है। वादी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 10.06.2021 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई की वादी की सयुक्तं खातेदारी खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से श्रवणराम पुत्र मघाराम चला आ रहा है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही श्रवण कुमार पुत्र मगाराम रहा है। वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में वादी का नाम श्रवणराम पुत्र मघारा अंकित कर दिया है। वादी साक्षर व कृर्षि पेशा व्यक्ति है वादी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है वादी को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, पैन—कार्ड में वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र मगाराम अंकित चला आ रहा है । यानि खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्जावेजो की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खसरा भूमि में वादी पर कब्जा काश्त व उपयोग में चला आ रहा हैं वादी वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम श्रवण कुमार पुत्र मगाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भूमि में वादी का गलत नाम श्रवणराम पुत्र मघाराम अंकित होने के कारण वादी को वादगत खसरा भूमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत वादी ने दिनांक 10.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम श्रवण कुमार पुत्र मगाराम है मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से श्रवणरा[illegible] अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम श्रवण कुमार पुत्र मगाराम अंकि[illegible] तो प्रतिवादी ने वादी को अपने क्षेत्राधिकार से बहार बताते [illegible] स्तावेजी नाम अंकन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यह वाद हेतुक [illegible] संशोधन कराने का अधिकारी है वादगत भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] धारी होने के कारण प[illegible] समायोजित किया गया है। स्टेट से किसी प्रकार क[illegible] नुतोष नही चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

भी कानूनी आपतियो का मध्यनजर रखते हुए 80(2) सी.पी.सी. का छूट का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ प्रस्तूत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि के खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी में होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादपत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व समय सीमा के भीतर–भीतर प्रस्तूत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तूत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी में वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र मगाराम का घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो वादी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नही होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अंकित नाम श्रवणराम पुत्र मघाराम के बजाय श्रवण कुमार पुत्र मगाराम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०४.१०.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

श्रवण कुमार पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।

दावा बावत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 45/2021

निर्णय दिनांकः 8.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकारराज स्टेट की तरफ से कार्यवाही मिनजानिब गुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 228 तादादी 11.7500 हैक्टेयर रोही मौजा रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अंकित नाम श्रवणराम पुत्र मघाराम के बजाय श्रवण कुमार पुत्र मगाराम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

लीज....0......गुवलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसादी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयावी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी,

श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,

श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)